# पशुपालक मित्र

पशुपालन को समर्पित त्रिमासिक पत्रिका

वर्ष: 1 अंक : 3 अक्टूबर , 2021 कुल पृष्ठ: 15 ISSN: 2583-0511(Online)

**Visit us: www.pashupalakmitra.in**

# पशुपालक मित्र

पशुपालन को समर्पित त्रिमासिक पत्रिका ISSN: 2583-0511(Online)

## संपादिकीय पैनल

### प्रधान संपादक

डॉ. सतीश कुमार पाठक
असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी
हिन्दू विश्वविद्यालय

### संपादक

*पशु प्रजनन एवं मादा रोग विशेषज्ञ*

1. डॉ.आशुतोष त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर
स.व.प. कृषि वि.वि., मेरठ
2. डॉ. विकास सचान
असिस्टेंट प्रोफेसर
दुवासू , मथुरा

*पशु पोषण विशेषज्ञ*

1. डॉ. दिनेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
जे.एन.के.वि.वि., जबलपुर

*पशुधन उत्पादन एवं प्रबन्धन विशेषज्ञ*

1. डॉ. ममता
असिस्टेंट प्रोफेसर
दुवासू , मथुरा

### संपर्क सूत्र

प्रधान संपादक
डॉ. सतीश कुमार पाठक,
असिस्टेंट प्रोफेसर,
पशुशरीर रचना शास्त्र विभाग , पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान संकाय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
बरकछा, मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश

ईमेल आई डी:
pashupalakmitra1@gmail.com

## वर्ष:1 अंक:3 अक्टूबर, 2021


| क्रमांक | लेख का शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | **शीत ऋतु में बछड़ों का प्रबंधन**: डॉ . विपिन मौर्य | 3-5 |
| 2. | **पशुओं के कानूनी अधिकार** :डॉ .ममता, डॉ.रजनीश सिरोही ,डा. दीप नारायण सिंह एवं डा. यजुवेंद्र सिंह | 6-9 |
| 3. | **भैंसों में ग्रीष्मकालीन अमदकाल** : डॉ. आशुतोष त्रिपाठी, डॉ. अतुल कुमार वर्मा एवं डॉ. मनीष कुमार शुक्ला | 10 |
| 4. | **बकरी पालन में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का महत्व** : डॉ. अवनीश कुमार सिंह एवं डॉ. विकास सचान | 11-12 |
| 5. | **राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना (आरजीएम)** : डॉ. सतीश कुमार पाठक | 13-14 |


नोट: लेख में वर्णित सूचनाओं का दायित्व लेखक का होगा, संपादक का नही ।

**Visit us: www.pashupalakmitra.in**

पशुपालक मित्र 1(3): 3-5; अक्टूबर, 2021
ISSN: 2583-0511 (Online)


# शीत ऋतु में बछड़ों का प्रबंधन

*डॉ. विपिन मौर्य*

***पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय***
***काशी हिन्दू विश्वविद्यालय***

➢शीत ऋतु मे मौसम में होने वाले परिवर्तन से पशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं पशुप्रबंधन ठीक न होने पर बछड़ो को खतरा पहुंच सकता है अतः नवजात एवं 6 माह तक के बछड़ों की देखभाल मनुष्यों के समान ही करनी चाहिए ।ऐसे समए मे निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है|

➢ठण्ड में पैदा होने वाले बछड़े-बछबड़ियों के शरीर को बोरी, पुआल आदि से रगड़ कर साफ करें, जिससे उनके शरीर को गर्मी मिलती रहें और रक्तसंचार भी बढ़े । ठण्ड में बछड़े-बछड़ियों का विशेष ध्यान रखे, जिससे कि उन्हे सफेद दस्त, निमोनिया एवं अन्य रोगों से बचाया जा सके।

➢नवजात बछड़ों को खीस हल्का गरम करके जरूर पिलाएं, इससे बीमारी से लडने की क्षमता में वृद्धि होती है और नवजात पशुओं की बढ़ोतरी भी तेजी से होता है। खीस पिलाने (3-5 दिन ) के बाद बछड़ों को दूध भी गुनगुना करके पिलाए |

➢बड़े बछड़ों को कभी भी ठंडा चारा व दाना नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे पशुओं को ठंड लग जाती है।

➢सर्दियों में शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए पशुओं में ऊर्जा, प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है अतः बछड़ों को संतुलित आहार प्रदान करे । बर्फबारी, शीतलहर आदि में तो पशुओं की ऊर्जा की जरूरत 100 फीसदी तक बढ़ जाती है |

➢सर्दियों में उच्च केलोरिक आहार में विटामिन व खनिजलवण मिलाना चाहिए। सांद्र राशन में 2 फीसदी खनिजतत्व और 1 प्रतिशत नमक मिलाना चाहिए। पशुआहार की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए वरना पशु का पाचन बिगड़ सकताहै ।

➢सर्दियों मे बछड़े व बछड़ियों को 30 से 60 ग्राम गुड़ अवश्य खाने को देना चाहिए |

➢बछड़ों को पीने के लिए ठंडा पानी नहीं देना चाहिए चूकि ठंडा पानी शरीर के तापमान को और गिरा देता है अतः हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए |

➢सर्दी मे बछड़ों को सुबह 9 बजे के पहले और शाम 5 बजे के बाद पशुशाला से बाहर न निकाले एवं दोपहर मे बाड़े मे खुला छोड़ देना चाहिए जिससे वे पर्याप्त मात्र मे धूप ले सके एवं खेल कूद कर स्फुरतिवान बने |

➢ठंड के मौसम मे बछड़ों के आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए | गौशाला के दरवाजे एवं खिड़कियों पर बोरे या त्रिपाल लगा दे जिससे शीतलहर अंदर न प्रवेश करे |ध्यान रहे पशुशाला को पूरी तरह से बंद न करे इससे दूषित एवं हानिकारक गैस जमा हो जाती और बछड़ों को नुकसान पहुचती है |

ISSN: 2583-0511 (Online)

➢बछड़ों के विश्राम स्थल पर पुआल ,भूसा अथवा पेड़ों की सूखी पत्तिया बिछा दे और समय पर उसे बदलते रहे अन्यथा यह बिछावन गोबर ,मूत्र एवं नमी के कारण कई बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है | पशुशाला मे व्यवस्था इस प्रकार हो की सूर्य की रोशनी देर तक रहे |

➢बाड़ों का तापमान 7-8 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए यदि ऐसा हो तो रात मे हीटर का प्रयोग करना चाहिए

➢अत्याधिक ठंड होने पर बछड़ों को जूट के बोरे पहनाए एवं अलाव जलाए | बछड़ों के गले मे रस्सी छोटी रखे ताकि वे अलाव तक न पहुचे|

➢ठंड ज्यादा होने पर बछड़ों को नहलाए नहीं अपितु ब्रश से उनकी सफाई करे जिससे गोबर ,धूल एवं गंदगी उनके शरीर से साफ हो जाए| यदि नहलाना आवश्यक हो तो बछड़ों को धूप मे गुनगुने पानी से नहलाए |

➢सर्दी के मौसम मे नमी होने के कारण पशुओ मे खुरपका ,मुहपका एवं गलघोंटू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीका लगवाए |

➢दूषित वातावरण एवं बंद कमरे मे पशुओ को रखने तथा संक्रमण से निमोनिया रोग बछड़ों मे होता है | रोग ग्रसित पशुओ की आँख व नाक से पानी गिरने लगता है|

अधिक ठण्ड पड़ने पर जूट की बोरी या पुराने गरम वस्त्र से पशुओं को ढका जा सकता है

बछड़ों के विश्राम स्थल पर बिछावन

पशुपालक मित्र 1(3): 3-5; अक्टूबर, 2021
ISSN: 2583-0511 (Online)


➢ठंड से प्रभावित बछड़ों के आँख व नाक से पानी आने लगता है | भूख कम लगती है और शरीर के रोए खड़े हो जाते है | उपचार के लिए एक बाल्टी खौलते पानी के ऊपर सूखी घास रख दे | रोगी बछड़े के चेहरे को बोरे या मोटे चादर से ऐसे ढ़के की नाक व मुह खुला रहे | फिर खौलते पानी भरे बाल्टी पर रखी घास पर तारपीन का तेल बूंद –बूंद कर गिराए | भाप लेने से पशु को आराम मिलेगा |

➢ठंड से प्रभावित पशु के शरीर में कपकपी बुखार के लक्षण होते हैं तो तत्काल निकटवर्ती पशुचिकित्सक को दिखाएं ।

➢ठंड के मौसम मे ज्यादा दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम व अधिक मात्रा मे अन्न व आटा , बच हुआ बासी भोजन खिलाने से अफरा रोग हो जाता है | इसमे बछड़े के पेट मे गैस बन जाती है |

➢सर्दियों मे अक्सर बछड़ों मे दस्त की शिकायत होती है ,इसके बचाव के लिए पशुशाला को साफ सुथरा रखे और समय समय पर चूना एवं फ़िनाइल आदि का छिड़काव करे |

➢ अन्तः परजीवियों से बचाओ के लिए बछड़ों को भार के अनुसार कृमिनाशक दवाए जैसे की Albendazole (अलबॉमर,निलवर्म ,जानिल आदि) देते रहना चाहिए |

➢बाह्य परजीवियों से बचाव के लिए (बूटऑक्स और क्लीनर की 2 मिली. मात्रा 1 लीटर पानी मे मिला कर) ग्रसित बछड़ों के शरीर पर लगा देना चाहिए और 2 घंटे बाद बछड़े को नहलाना चाहिए |

ISSN: 2583-0511 (Online)

# पशुओं के कानूनी अधिकार

*डॉ.ममता, डॉ.रजनीश सिरोही ,डा. दीप नारायण सिंह एवं डा. यजुवेंद्र सिंह*
***पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय***
***दुवासु, मथुरा***

लोगों का एक समूह मानता है कि पशुओं को भी मनुष्यों के समान अधिकार मिले और मनुष्यों द्वारा भोजन या शोध के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अन्य सोचते हैं कि जानवरों को अनुसंधान या अन्य मानव आवश्यकताओं के लिए नियोजित करना ठीक है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या जानवरों के अधिकार होने चाहिए? और काफी सरलता से, जवाब होता है "हां!" क्यों नहीं !! जानवर निश्चित रूप से पीड़ा और शोषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकारी हैं। जब किसी के अधिकारों का निर्णय लेते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि क्या वे तर्क कर सकते हैं, 'क्या वे बात कर सकते हैं?' बल्कि 'क्या वे पीड़ित हो सकते हैं? पीड़ा की क्षमता भाषा से संबोधित नहीं हो सकती। सभी जानवरों के पास पीड़ित होने की क्षमता होती है। उन्हें दर्द, भय, निराशा, अकेलापन, और मातृ प्यार अनुभव होता है। जीने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक प्राणी को दर्द और पीड़ा से मुक्त रहने का अधिकार है।

भारत में सिर्फ मानवाधिकार ही नहीं हैं, बल्कि पशुओं के भी कानूनी अधिकार हैं। हमें जानना चाहिए कि पशुओं को कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय कानून में पशुओं की हिफाजत के लिए कम से कम 15 कानून हैं आइये इस लेख के माध्यम से इन नियमों पर एक नजर डालते हैं।

➢भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है।

➢मांस को लेकर निर्देश : कोई भी पशु (मुर्गी समेत) सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा। बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशु को मारा नहीं जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन में इस बात पर स्पष्ट नियम हैं।

➢पशुओं पर पशुता न करें भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों न हो, दंडनीय अपराध है।

➢पशु को आवारा बनाना : प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट (पीसीए) 1960 के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर तीन महीने की सजा हो सकती है।

➢बंदर पालना वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। कानून कहता है कि बंदरों से नुमाइश करवाना या उन्हें कैद में रखना गैरकानूनी है।

ISSN: 2583-0511 (Online)

➢एनिमल बर्थ कंट्रोल (2001) डॉग्स रूल : इस नियम के तहत कुत्तों को दो श्रेणियों में बांटा गया है- पालतू और आवारा। कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था के सहयोग से आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन कर सकती है। उन्हें मारना गैरकानूनी है।

➢पशुओं की देखभाल : जानवर को पर्याप्त भोजन, पानी, शरण देने से इनकार करना और लंबे समय तक बांधे रखना दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माना या तीन महीने की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।

➢पशुओं को लड़ाना : पशुओं को लड़ने के लिए भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना गंभीर अपराध है।

➢एनिमल टेस्टिंग : ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के मुताबिक जानवरों पर कॉस्मेटिक्स का परीक्षण करना और जानवरों पर टेस्ट किये जा चुके कॉस्मेटिक्स का आयात करना प्रतिबंधित है।

➢बलि पर बैन : स्लॉटरहाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैरकानूनी है।

➢चिड़ियाघर का नियम : चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना दंडनीय अपराध है। पीसीए के तहत ऐसा करने वाले को तीन साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

➢पशुओं का परिवहन (पशु परिवहन अधिनियम) : पशुओं को असुविधा में रखकर, दर्द पहुंचाकर या परेशान करते हुए किसी भी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मोटर व्हीकल एक्ट और पीसीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

➢कोई तमाशा नहीं : पीसीए एक्ट के सेक्शन 22 (2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेन करना और इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।

➢घोंसले की रक्षा : पंछी या सरीसृप के अंडों को नष्ट करना या उनसे छेड़छाड़ करना या फिर उनके घोंसले वाले पेड़ को काटना या काटने की कोशिश करना शिकार कहलाएगा। इसके दोषी को सात साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

➢जंगली जानवरों को कैद करना :किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना, जहर देना या लालच देना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को सात साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

➢यहाँ यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि पशु क्रूरता किसे माना जाए? इसके लिए पीसीए 1960 का अध्याय 3, पशुओं के प्रति क्रूरता का विस्तृत उल्लेख करता है, जोकि निम्नवत है

➢सेक्शन 11 में यदि कोई व्यक्ति-इनमे से कोई भी कृत्य करता है तो वह पशुओं के प्रति क्रूरता के व्यवहार के दायरे में आता है -

(क) किसी पशु को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, उस पर सवारी करके उसे अत्यधिक हांकेगा, उस पर अत्यधिक बोझ लादेगा, उसे यंत्रणा देगा, या अन्यथा उसके साथ ऐसे बर्ताव करेगा या करवाएगा जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना होती है, या स्वामी होते हुए किसी पशु के प्रति इस प्रकार का बर्ताव करने देगा अथवा

(ख) किसी कार्य श्रम में, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे पशु को लगाएगा जो अपनी आयु या किसी रोग, अंग-शैथिल्य, घाव, फोडे के कारण अथवा किसी अन्य कारण से इस प्रकार लगाए जाने के अनुपयुक्त है, या स्वामी होते हुए ऐसे किसी अनुपयुक्त पशु को इस प्रकार लगाए जाने देगा अथवा

(ग) किसी पशु को जानबूझकर तथा अनुचित रूप से कोई क्षतिकारक औषधि या क्षतिकारक पदार्थ देगा या किसी पशु को जानबूझकर और अनुचित रूप से ऐसी कोई औषधि या पदार्थ, खिलवाएगा या खिलवाने का प्रयास करेगा अथवा

(घ) किसी पशु को किसी यान में, या यान पर, या अन्यथा ऐसी रीति से या ऐसी स्थिति में प्रवहित करेगा या ले जाएगा जिससे कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचती है अथवा

(ङ) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या अन्य पात्र में रखेगा या परिरुद्ध करेगा, जिसकी ऊंचाई, लम्बाई और चौड़ाई इतनी पर्याप्त न हो कि पशु को उसमें हिल-डुल सकने का उचित स्थान प्राप्त हो सके अथवा

(च) किसी पशु को अनुचित रूप से छोटी या अनुचित रूप से भारी किसी जंजीर या रस्सी में किसी अनुचित अवधि तक के लिए बांधकर रखेगा अथवा

(छ) स्वामी होते हुए, किसी ऐसे कुत्ते को, जो अभ्यासतः जंजीर में बंधा रहता है या बन्द रखा जाता है, उचित रूप से व्यायाम करने या करवाने की उपेक्षा करेगा अथवा

(ज) किसी पशु का स्वामी होते हुए ऐसे पशु को पर्याप्त खाना, जल या आश्रय नहीं देगा अथवा

(झ) उचित कारण के बिना, किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त कर देगा जिससे यह संभाव्य हो कि उसे भुखमरी या प्यास के कारण पीड़ा पहुंचे अथवा

ञ) किसी ऐसे पशु को, जिसका वह स्वामी है, जानबूझकर किसी मार्ग में छोड़ कर घूमने देगा जब कि वह पशु किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो, या किसी रोगग्रस्त या विकलांग पशु को, जिसका वह स्वामी है, उचित कारण के बिना, किसी मार्ग में मर जाने देगा अथवा

(ट) किसी ऐसे पशु को बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा, या बिना किसी उचित कारण के अपने कब्जे में रखेगा, जो अंगविच्छेद, भुखमरी, प्यास, अतिभरण या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त हो अथवा

(ठ) किसी पशु का अंगविच्छेद करेगा या किसी पशु को (जिसके अन्तर्गत आवारा कुत्ते भी हैं) हृदय में स्ट्रीक्नीन-अन्तःक्षेपण की पद्धति का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक क्रूरढंग से मार डालेगा अथवा

(ड) केवल मनोरंजन करने के उद्देश्य से,-

- किसी पशु को ऐसी रीति से परिरुद्ध करेगा या कराएगा (जिसके अन्तर्गत किसी पशु का किसी व्याघ्र या अन्य पशु वन में चारे के रूप में बांधा जाना भी है) कि वह किसी अन्य पशु का शिकार बन जाए अथवा
- किसी पशु को किसी अन्य पशु के साथ लड़ने के लिए या उसे सताने के लिए उद्दीप्त पशुओं की लड़ाई के लिए या किसी पशु को सताने के प्रयोजनार्थ, किसी स्थान को सुव्यवस्थित करेगा, बनाए रखेगा उसका उपयोग करेगा, या उसके प्रबन्ध के लिए कोई कार्य करेगा या किसी स्थान को इस प्रकार उपयोग में लाने देगा या तदर्थ प्रस्ताव करेगा, या ऐसे किसी प्रयोजन के लिए रखे गए या उपयोग में लाए गए किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करेगा अथवा
- गोली चलाने या निशानेबाजी के किसी मैच या प्रतियोगिता को, जहां पशुओं को बंधुआ हालत से इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उन पर गोली चलाई जाए या उन्हें निशाना बनाया जाए, बढ़ावा देगा या उसमें भाग लेगा, तो वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

पशु अधिकार सिर्फ एक दर्शन नहीं है यह एक सामाजिक आंदोलन है जो समाज के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। जानवरों के लिए क्रूरता सबसे बड़े नैतिक मुद्दों में से एक है। उन्हें मनुष्यों के समान अधिकार देने के कार्यान्वयन के मामले बहुत व्यावहारिक प्रतीत नहीं होते है लेकिन निश्चित रूप से जो कदम उनके शोषण को रोकने या कम करने के लिए उठाये जा सकते उन्हें किया जाना चाहिए। पशु संरक्षण केवल कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन की बात नहीं है बल्कि मानसिकता में परिवर्तन और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का विषय है।

ISSN: 2583-0511 (Online)

# भैंसों में ग्रीष्मकालीन अमदकाल

*डॉ. आशुतोष त्रिपाठी, डॉ. अतुल कुमार वर्मा एवं डॉ. मनीष कुमार शुक्ला*
***पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय***
***सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ***

भैंसों में उच्चतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दो ब्यांत के बीच का अंतर १४-१५ महीने से ज्यादा ना हो । परन्तु भारत कि जलवायु में ग्रीष्मकालीन ऋतु का मध्यांतर निरंतर बढ़ने से भैंसो में आमदकल कि समस्या और भी गंभीर रूप से बढ़ रही है । इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्रीष्काल के दौरान आवास, आहार एवं अन्य प्रबंधन पर उचित ध्यान देकर इस समस्या को काम किया जा सके ताकि किसानो को इस समस्या से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके ।

आवास प्रबंधन

ग्रीष्मकाल में भैंसो का आवास प्रबंधन सबसे ज्यादा जरुरी है इसलिए आवास इस तरह का होना चाहिए कि गर्म हवा अंदर ना आ सके । आवास यदि कच्चा है खासकर यदि छत पर छप्पर हो तो तो गर्मी की समस्या नहीं होती पर फार्म की दीवारें एवं छत पक्की हैं तो तो पंखा लगाया जाना चाहिए । छोटे फार्म पर खिड़कियों पर टाट भिगोकर लगाने से गर्म हवा भी कुछ ठंडी लगती है । यदि बड़ा फार्म है तो बॉक्स फेन तथा फॉगर भी लगाए जा सकते है । आवास के आस पास पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए ताकि ज्यादा गर्मी ना हो ।

आहार प्रबंधन

पीने का पानी साफ और ताजा होना चाहिए ताकि शरीर कि ऊष्मा को काम कर सके । हरा चारा ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो । खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए कई खनिज एवं लवण ऐसे है जिससे तनाव को दूर करने में मदद करते हैं ।

अन्य प्रबंधन

भैंसो को यदि संभव हो तो दिन में ज्यादा गर्मी के समय तालाब या नदी में नहलाने के लिए ले जाया जा सकता है । अगर तालाब या नदी न हो तो भैंसो को घर में ही दिन में दो बार नहलाना चाहिए । यदि समय ज्यादा हो गया है फिर भी पशु मद में नहीं आ रहा है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए । कुछ हॉर्मोन प्रोटोकॉल भी है जिनके उपयोग के पश्च्यात निर्धारित समय पर कृत्रिम गर्भाधान से भी पशु को गर्भित किआ जा सकता है ।

पशुपालक मित्र 1(3): 11-12; अक्टूबर, 2021
ISSN: 2583-0511 (Online)


# बकरी पालन में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का महत्व

*डॉ. अवनीश कुमार सिंह एवं डॉ. विकास सचान*
***मादा पशु रोग एवं प्रसूति विज्ञान विभाग, दुवासू, मथुरा***

हमारे देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बकरी पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है एवं देश के विभिन्न प्रान्तों में इसका व्यवसायीकरण तीव्रता से हो रहा है। बकरियों में न केवल विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपने को ढालने की क्षमता बल्कि कम समय अंतराल पर पुनः गर्भित होना तथा एक या अधिक बच्चों को जन्म देने का लाभकारी गुण होता है। साथ ही साथ बकरी पालन में खानपान व रखरखाव पर कम खर्च होने के साथ मांस, दूध जैसे बहुमूल्य उत्पादों के लिए भी यह व्यवसाय अत्यन्त उपयोगी है। इस व्यवसाय को सफल एवं अधिक लाभकारी बनाने में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो रहा है, जिसकी आधारभूत जानकारी होना बकरी पलकों के लिए नितांत आवश्यक है।

कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में अच्छी आनुवांशिकता एवं उत्पादकता वाले बकरों का वीर्य कृत्रिम योनि के द्वारा एकत्र तथा हिमीकृत करके, मद में आने वाली बकरियों को गर्भित करने के लिए उनके प्रजनन अंग में कृत्रिम विधि से डाला जाता है। इस तकनीक के सफल परिणाम हेतु बकरी पालक को मादा पशु में मद के लक्षणों की जानकारी होना अति आवश्यक है। बकरी का बेचैन रहना, खान-पान तथा दुग्ध उत्पादन में कमी होना, बार-बार पेशाब करना तथा पूंछ उठाकर/हिलाकर विशेष प्रकार की आवाज करना, योनि मार्ग से पारदर्शी द्रव्य (जेरी) का स्राव होना, योनि द्वार का हल्का लाल एवं चिकना होना, बाड़े/झुण्ड के अन्य बकरियों पर चढ़ना तथा बकरे को अपने ऊपर चढने देना इत्यादि मद काल के मुख्या लक्षण होते हैं।

उपर्युक्त बताये गए लक्षणों के अतिरिक्त बाड़े/झुण्ड में अधिक बकरियों के होने पर सुबह एवं शाम दोनों समय एक व्यस्क बकरे के पेट पर कपड़ा बांधकर (जिससे लिंग बाहर ना निकल सके) छोड़ने पर गर्मी में आयी बकरियों का आंकलन और भी सरल, सफल एवं सटीक तरीके से किया जा सकता है। सामान्यतः बकरियों का मदकाल लगभग 24 से 40 घंटे का होता हैं, परन्तु गर्भाधान गर्मी के लक्षण दिखने के लगभग 12 घंटे बाद पर ही करवाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर शाम को गर्मी दिखाने वाली बकरी का गर्भाधान अगले दिन की सुबह करवा देना चाहिए जिससे शुक्राणुओं एवं अण्डों का उपयुक्त समय पर संयुग्मन हो और बकरी सफलतापुर्वक गर्भित हो सके।

कृत्रिम गर्भाधान विधि के बहुत सारे लाभ होते हैं। एक उच्च नस्ल के बकरे से प्राप्त वीर्य से कृतिम गर्भाधान विधि द्वारा कई सारी बकरियों को गर्भित किया जा सकता है। जिससे अधिक बकरों के रखरखाव एवं खानपान पर होने वाले खर्च से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग किया जाने वाला वीर्य पूर्णतरू स्वस्थ एवं वयस्क बकरे से एकत्र किया जाता है, जिससे बकरियों में प्रजनन जनित होने वाले संक्रमण से बचा जा सकता है। उच्च आनुवंशिकता एवं उत्पादकता वाले बकरें के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करवाने से कम समय में ही पशुपालक एक उच्च नस्ल के पशुओं का समूह तैयार कर सकते हैं। उच्च नस्ल के बकरें की मृत्यु के पश्चात् भी वीर्य को हिमीकृत तकनीक से सरंक्षित कर भविष्य में कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग किया जा सकता है। यह तकनीक ऐसे पशुओं में भी अत्यन्त कारगर हैं, जिनमे नर और मादा पशु की नस्ल तथा आकर आदि में विषमता हो, आपस में सामंजस्य ना हो। हिमीकृत वीर्य को तरल नाइट्रोजन में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान या बकरी के बाड़े तक आसानी से लाया जा सकता हैं। बकरे को बकरी के पास या बकरी को बकरे के पास नहीं ले जाना पड़ता है, जिससे समय के साथ यातायात में होने वाले खर्च में भी बचत होती है।

वर्तमान समय में बकरियों हेतु यह सुविधा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध हैं, परन्तु इसका विकास अत्यन्त तीव्र गति से किया जा रहा है। गाय/भैस की तुलना में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान करना आसन होता है, जिसको महिलाएं एवं पुरुष प्रशिक्षण प्राप्त कर आसानी से सीख सकते हैं। निश्चय ही बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान नस्ल, आनुवंशिकता एवं उत्पादकता सुधार हेतु अत्यन्त ही सफल एवं प्रभावी तकनीक सिद्ध है। इसके लिए बकरी पालकों को जागरूक होने के साथ उपरोक्त जानकारियों से अवगत होना भी नितांत आवश्यक है। किसी भी समस्या या संदेह होने पर अपने नजदीकी प्रशिक्षित पशुचिकित्सक से जानकारी एवं परामर्श लेकर उचित प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है।

पशुपालक मित्र 1(3): 13-14; अक्टूबर, 2021
ISSN: 2583-0511 (Online) 

# राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना (आरजीएम)

*डॉ. सतीश कुमार पाठक*
*पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय*
*काशी हिन्दू विश्वविद्यालय*

देश के किसानों की आय को बढ़ानें के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है । राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में 2025 करोड़ रुपये के बजट के साथ की गयी थी | सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करनें क मुख्य उद्देश्य स्वदेशी नस्ल के गौवंश तथा दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना तथा इन पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राण घातक बीमारियों से बचाना है |

## राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का उद्देश्य

1. स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण;
2. स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम ताकि आनुवंशिक संरचना में सुधार हो और स्टॉक में वृद्धि हो;
3. रोग मुक्त उच्च आनुवांशिक गुण वाली मादा आबादी को बढ़ाकर और रोगों के प्रसार को नियंत्रित करके बोवाइन आबादी के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना;
4. गिर, साहीवाल, राठी, देओनी, थारपरकर, लाल सिंधी जैसी उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का उपयोग करके नॉन-डिस्क्रिप्ट गोपशुओं का उन्नयन करना;
5. प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले बैलों का वितरण;
6. उच्च आनुवांशिक गुणता वाले जर्म प्लाज़्म का उपयोग करके एआई या प्राकृतिक सेवा के जरिए सभी प्रजनन योग्य मादाओं को संगठित प्रजनन के तहत लाना;
7. किसानों के घर पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाओं की व्यवस्था करना;
8. प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए बोवाइन जर्मप्लाज्म के लिए ई-मार्केट पोर्टल बनाना;
9. सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) मुद्दों को पूरा करके पशुधन और पशुधन उत्पादों के व्यापार में वृद्धि करना;
10. जीनोमिक्स का प्रयोग करके कम उम्र के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले प्रजनन बैलों का चयन करना।

ISSN: 2583-0511 (Online)

## राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना पात्रता

➢आवेदक को भारत का मूल निवासी होना आवश्यक है |

➢आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है|

➢इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ छोटे किसान और पशुपालक ही आवेदन कर सकते है|

➢सरकारी पेंशन पाने वाले पशुपालको या किसानो को इस योजना के लिए पात्र नही माना जायेगा |

## गोकुल ग्राम क्या है

➢गोकुल ग्राम देशी पशु केंद्र और अधिनियम स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए केंद्र के रूप में काम कर रहा है।

➢गोकुल ग्राम मूल प्रजनन इलाकों और शहरी आवास के लिए मवेशियों के पास महानगरों में स्थापित है ।

➢गायों के प्रजनन क्षेत्र में किसानों को उच्च आनुवंशिक प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद स्रोत है ।

➢गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं देता है ।

➢1000 जानवरों की क्षमता वाले इन ग्रामों में दुग्ध उत्पादक और अनुत्पादक पशुओं का अनुपात 60:40 का है ।

➢गोकुल ग्राम पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में चारा उत्पादित करने के लिए बनाये गए हैं ।

स्रोत: **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार**

## लेख भेजने के लिए निर्देश :

1. लेख हिन्दी में मंगल फॉन्ट एवं microsoft word में होने चाहिये ।
2. लेख पशुपालन से संबन्धित होना चाहिये।
3. लेख के प्रकाशन का निर्णय संपादक का होगा।
4. लेख का प्रकाशन निः शुल्क होगा ।
5. लेख को प्रकाशन के लिए ईमेल आई डी pashupalakmitra1@gmail.com पर भेजना होगा ।
6. लेखक को निम्न प्रारूप में एक स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लेख के साथ सलग्न करना होगा **प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न लेख...शीर्षक................ लेखक ...लेखक का नाम ............. द्वारा लिखित एक मौलिक, अप्रकाशित रचना है, तथा इसे प्रकाशन के लिए किसी अन्य पत्रिका में नही भेजा गया है।**
7. लेख में वर्णित सूचनाओं का दायित्व लेखक का होगा , संपादक का नही